राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर की प्रशासकीय परिषद दिनांक 15.06.2020 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विडियों कान्फ्रेसिन्ग (जूम ऐप) के माध्यम सें सम्पन्न हुई 10वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	श्री पर्वत सिंह यादव, रा0इं0का0, अम्बेडकर नगर / गढ़ी, जालिम कुरसैना, जसवंतनगर, इटावा।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती एस0राधा चौहान, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	उपाध्यक्ष
3.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री नीरज श्रीवास्तव, सचिव, वित्त व्यय (नियन्त्रण) उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन, लखनऊ के नामित सदस्य	सदस्य
5.	डॉ0 के0के0 तिवारी, कुलसचिव, आई0आई0टी0, कानपुर निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा नामित।	सदस्य
6.	डॉ0 राजीव त्रिपाठी, निदेशक, एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद, (प्रयागराज)	सदस्य
7.	श्री मनोज कुमार, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।	सदस्य
8.	प्रो0 एम0एम0 गोरे,	सदस्य

सी0एस0इ0डी0,
एम0एन0आई0टी0,
इलाहाबाद, (प्रयागराज)

9. प्रोफेसर विशाल सिंह चंदेल, — सदस्य
अप्लाइड साइंस एण्ड ह्यूमेनिटीज विभाग,
रा0इ0का0, अम्बेडकर नगर।

10. प्रोफेसर आर0पी0 पयासी, — सदस्य
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग,
के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर

11. प्रो0 आर0एस0 यादव, — सदस्य
सी0एस0इ0डी0,
एम0एन0आई0टी0,
इलाहाबाद, (प्रयागराज)

12. डॉ0 राजीव, — सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर,
गणित विज्ञान विभाग,
आई0आई0टी0, बी0एच0यू0
बनारस।

13. प्रो0 राम अवध मिश्र, — सदस्य
इलेक्ट्रानिक इंजी0 विभाग,
एम0एन0आई0टी0,
इलाहाबाद, (प्रयागराज)

14. प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय — सदस्य / सदस्य–सचिव
निदेशक, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर /
निदेशक, रा0इं0का0, अम्बेडकर नगर

अपरिहार्य कारणोवश निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:–

1. श्री अरूण कृष्णा, — सदस्य
जनरल मैनेजर,
एच0एल0 कोरवा,
अमेठी।

सर्वप्रथम निदेशक संस्थान/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव/निदेशक संस्थान द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

10.01 प्रशासकीय परिषद की दिनाँकः 10.12.2019 को सम्पन्न नौवीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

प्रशासकीय परिषद की दिनाँक 10.12.2019 को सम्पन्न नौवीं बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्रांक संख्याः 253/कुस०/रा०इं०का०/2020 दिनांकः 17.02.2020 से माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया। माननीय सदस्यों से कार्यवृत्त के अभिलेखन पर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई। अनुमोदित कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। प्रशासकीय परिषद द्वारा अवलोकन के उपरान्त उक्त कार्यवृत्त पर पुष्टीकरण किया गया ।

10.02 प्रशासकीय परिषद की दिनाँकः 10.12.2019 को सम्पन्न नौवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 10.12.2019 को सम्पन्न हुई नौवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर परिषद अवगत हुयी। लम्बित कार्यवाही को शीघ्र कराये जाने का निर्देश दिया गया।

10.03 संस्थान की दिनाँक 20.03.2020 को वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी अनुमोदित कार्यवृत्त का औपचारिक अनुमोदन।

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 20.03.2020 को सम्पन्न हुई 11वीं बैठक के कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। संस्थान में नियमित लेखाकर्मी न होने के कारण लेखा अभिलेखों के रखरखाव एवं कार्यों के निष्पादन में होने वाली कठिनाई के दृष्टिगत चार्टड लेखाकार (सी0ए0) की सेवायें सीमित निविदा सी0 ए0 के माध्यम से कराते हुये न्यूनतम दर के आधार पर सेवायें प्राप्त की जाय, का निर्णय लिया गया।

10.04 संस्थान की दिनाँक 24.01.2020 को सम्पन्न केन्द्रीय क्रय समिति की आठवीं एवं नौवीं बैठक के कार्यवृत्त का औपचारिक अनुमोदन।

प्रशासकीय परिषद द्वारा दोंनों केन्द्रीय क्रय समिति के कार्यवृत्त में दिये गये प्रस्तावों का निदेशक संस्थान पुनः शासकीय/ TEQIP-III के नियमों के परीक्षण करायें और उनके एवं संस्थान के वित्त एवं लेखा के Under taking की सभी क्रय नियमानुसार किये गये/जा रहे है, के सम्बन्ध में तीन सदस्यी समिति (एक वाह्य सदस्य) गठित कर उसकी आख्या प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति के उपरान्त ही अनुमोदन पर विचार किया जायेगा।

10.05 संस्थान के सत्र 2018–19 के आडिट बैलंस शीट से प्रशासकीय परिषद को अवगत कराना ।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर के संस्थान विभिन्न आय–व्यय के आधार पर सी0ए0 द्वारा तैयार की गयी वित्तीय वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट से परिषद अवगत हुयी ।

10.06 TEQIP-III द्वारा क्रय किये गये एवं क्रय किये जाने वाले उपकरणों, साफ्टवेयर एवं

सामानों की अद्यतन स्थिति।

प्रशासकीय परिषद, TEQIP-III के अन्तर्गत क्रय किये गये एवं क्रय किये जाने वाले उपकरणों, साफ्टवेयर एवं सामानों की अद्यतन स्थिति से अवगत हुयी ।

10.07 पं० दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम योजना (DDUQIP) की अद्यतन स्थिति।

प्रशासकीय परिषद ने संस्थान में पं० दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम योजना (DDUQIP) की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत हुयी तथा यह भी सुझाव दिया गया कि जिन अलग–अलग मदों से उपकरण आदि क्रय किये गये, उनका अलग–अलग मदवार सत्यापन करा लिया जाय कि भौतिक रूप में जिन मदों से सामान क्रय किया गया है, वह अलग–अलग उपलब्ध है, यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय में दुरावृत्ति तो नही हुयी है।

10.08 संस्थान के तीन शिक्षकों डा० शैलेश कुमार श्रीवास्तव, (अनप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग) श्री अनूप कुमार वर्मा (सिविल इंजीनियरिंग विभाग) एवं सुश्री वैशाली राजभर (सिविल इंजीनियरिंग विभाग) के त्यागपत्र दिये जाने की सूचना के सम्बंध में।

संस्थान के तीन शिक्षकों डा० शैलेश कुमार श्रीवास्तव, (अनप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग) श्री अनूप कुमार वर्मा (सिविल इंजीनियरिंग विभाग) एवं सुश्री वैशाली राजभर (सिविल इंजीनियरिंग विभाग) के त्यागपत्र दिये जाने की सूचना एवं निदेशक स्तर पर स्वीकार किये जाने से अवगत होते हुये प्रशासकीय परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रशासकीय परिषद द्वारा डॉ0 पूनम सिंह का भी त्याग पत्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10.09 संस्थान के नियमित शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।

संस्थान के नियमित शिक्षकों को शासन के पत्र संख्याः 4342/सोलह–1–2018–14(4)/2010 दिनांकः 18.11.2019 के क्रम में सातवें वेतनमान के अनुरूप माह नवम्बर से वेतन दिया जा रहा है। शिक्षकों को शासन के निर्देश पर एरियर का भुगतान संस्थान के बचत से करते हुये प्रतिपूर्ति के लिये शासन से अनुरोध किया गया है।उक्त सूचना से प्रशासकीय परिषद अवगत हुयी।

निदेशक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सातवें वेतनमान में कतिपय फैकेल्टी मेम्बर को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गयी है, जिसके वापसी के विरूद्ध फेकेल्टी मेम्बर्स द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। इस सूचना से भी परिषद अवगत हुयी एवं प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिया गया।

10.10 शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिये Extension of Approval (EOA) के सम्बन्ध में ।

AICTE द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिये Extension of Approval (EOA) प्रदान किया गया , जिसकी सूचना से प्रशासकीय परिषद अवगत हुयी ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]